

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 929 / गोपनीय /2021
दो-2-1 / 2021


जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, खण्डवा जिले के प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, दिनांक **01.10.2021** से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री प्रकाश चन्द्र आर्य को पूर्णतः अस्थाई रूप से सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रभारी सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, केवल विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


“राजेन्द्र कुमार वाणी”
रजिस्ट्रार जनरल
५५

पृष्ठांकन क्रमांक 930 / गोपनीय /2021
दो-2-1 / 2021

जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर, 2021


प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक की अवधि के लिये की गई है।
6. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/ बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई०एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ रजिस्ट्रार/ सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन)/ सीनियर प्रिसिपल सिर्टम एनालिस्ट (एस०५०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) संचालक/ अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. रजिस्ट्रार (ई०)/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
12. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
15. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट/ सहायक (कार्य) / शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चैकर/ क्रिमिनल चैकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
४